कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन (म०प्र०)

PIN-464551
TEL- 07482-299102
E-MAIL- dmraisen@nic.in

रायसेन, दिनांक – ***30* / 08 / 2024**

– आ दे श –

क्रमांक **/ 456 / Steno / 2024** :– मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक 2031 / **A-II** / 2024 / वि.स.क. / भोपाल दिनांक 24.08.2024 से प्रदत्त निर्देशानुसार जिला स्तर पर निवेश को सुगम बनाने, निवेशकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं निवेश परियोजनाओं को क्रियान्वित / स्थापित करने हेतु आवश्यक जिला स्तरीय अनुमतियॉ / सम्मतियों / अनुज्ञप्तियों को निर्धारित समयावधि में प्रदान करने के लिए केन्द्रीकृत व्यवस्था निर्मित करने हेतु कलेक्टर कार्यालय रायसेन में स्थापित किये गये निवेश प्रोत्साहन केन्द्र हेतु श्री मनीष शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रायसेन **(76949-15225)** को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है।

2. केन्द्र के नोडल अधिकारी के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :–

2.1. केन्द्र में पधारे समस्त निवेशकों का कलेक्टर से संवाद स्थापित कराना।

2.2. निवेश हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनुमतियॉ / सम्मतियों / अनुज्ञप्तियों का चिन्हांकन / सूचीबद्ध करना।

2.3. निवेशक का आवेदन / प्रकरण संबंधित विभागों को प्रेषित करना एवं पूर्ति / समाधान कराकर वापिस प्राप्त करना।

2.4. निवेश परियोजना / उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करना, जिनका जिला स्तर पर निराकरण संभव न हो, को निवेश परियोजना की श्रेणी के अनुरूप उसे प्रमुख सचिव / सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग / विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग / पर्यटन विभाग / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग आदि को समुचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित करना।

2.5. नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए जिले में उपलब्ध अविकसित शासकीय भूमि चिन्हांकित करना एवं चिन्हित भूमि को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग / विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग व अन्य विभागों को हस्तांतरित कराने हेतु जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करना।

2.6. जिले में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं इण्डस्ट्रीयल ईको–सिस्टम की संकलित जानकारी रखना जिससे केन्द्र में आने वाले निवेशकों को जानकारी दी जा सके।

2.7. निवेश परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को कलेक्टर के ध्यान में लाकर उसे जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तत करना।

2.8. केन्द्र में निवेश परियोजनाओं के प्राप्त आवेदन / प्रकरणों का सार एवं उनके निराकरण की अद्यतन स्थिति तैयार कर जिला स्तरीय निवेश संबंधन एवं समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(अरविन्द दुबे)
कलेक्टर रायसेन

पृ. क्रमांक **/ 456 / Steno / 2024** रायसेन, दिनांक – ***30* / 08 / 2024**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सर्व संबंधित अधिकारीगण ....(समस्त) जिला रायसेन।
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी रायसेन।

कलेक्टर
जिला रायसेन

कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन (म०प्र०)

रायसेन, दिनांक – ***30* / 08 / 2024**

– आ दे श –

क्रमांक / **457 / Steno / 2024** :– मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक 2031/**A-II**/2024/वि.स.क./भोपाल दिनांक 24.08.2024 से प्रदत्त निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय रायसेन में स्थापित किये गये निवेश प्रोत्साहन केन्द्र को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने, केन्द्र के कार्यकलापों की समीक्षा, केन्द्र के माध्यम से प्राप्त हो रहे आवेदनों/प्रकरणों/समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं निवेश परियोजनाओं के सुगम क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता हैः–

स.क्र.	अधिकारी का पदनाम	समिति में पद
1	कलेक्टर रायसेन	अध्यक्ष
2	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन/ओबेदुल्लागंज	सदस्य
3	कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
4	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	सदस्य
5	महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जिला रायसेन	सदस्य
6	जिला अधिकारी नगर एवं ग्राम निवेश	सदस्य
7	श्रम पदाधिकारी मण्डीदीप, जिला रायसेन	सदस्य
8	उपायुक्त/सहायक आयुक्त, राज्य कर	सदस्य
9	क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मण्डीदीप जिला रायसेन	सदस्य
10	जिला अग्रणी प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक रायसेन	सदस्य
11	जिला खनिज अधिकारी रायसेन	सदस्य
12	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण रायसेन	सदस्य
13	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डीदीप/रायसेन	सदस्य
14	नोडल अधिकारी, निवेश प्रोत्साहन केन्द्र, कलेक्टर कार्यालय रायसेन	सदस्य–सचिव

2. समिति के दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

2.1. निवेश परियोजना/उद्योगों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुमतियां/अनापत्तियां/अनुज्ञप्तियॉ आदि को समय–सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करना।

2.2. निवेश परियोजना/उद्योगों की स्थापना से संबंधित समस्त प्रकार की अनुमतियां/अनापत्तियां/ अनुज्ञप्तियॉ का नवीनीकरण को समय–सीमा में उपलब्ध कराना।

2.3. निवेश परियोजना/उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करना जिनका जिला स्तर पर निराकरण संभाव न हो, के निराकरण के लिए राज्य शाासन के संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना।

2.4. निवेश परियोजना/उद्योगों की स्थापना संबंधी अनुमतियां/अनापत्तियां/ अनुज्ञप्तियॉ आदि प्रदान करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु परामर्श एवं सुझाव देना।

2.5. निवेश परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में सेवा प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा अधिशासित अधिनियमों यथा म.प्र. उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023 एवं म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधानों/समयावधि के अनुरूप जिला स्तरीय सेवाओं का निर्धारित समयावधि में प्रदाय सुनिश्चित करना।

2.6. निवेश प्रोत्साहन केन्द्र के कार्यकलापों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण।

3. जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक माह आहुत की जावेगी तथा प्रत्येक माह का प्रगति प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया जावेगा।

(अरविन्द दुबे)
कलेक्टर रायसेन

पृ. कमांक / **457 / Steno / 2024** रायसेन, दिनांक – ***30*** **/ 08 / 2024**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सर्व संबंधित अधिकारीगण ....(समस्त) जिला रायसेन।
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी रायसेन।
5. श्री मनीष शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रायसेन एवं नोडल अधिकारी, निवेश प्रोत्साहन केन्द्र, **(76949-15225)** कलेक्टर कार्यालय रायसेन।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला रायसेन